202

202

संख्याः 151/XXXVI(1)/2012–75/2007–टी0सी0

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग:1 देहरादून : दिनांक 20 जून, 2012

विषय : मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य की ओर से पैरवी/बहस हेतु अधिवक्ता आबद्ध किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर 01 वर्ष के लिए आबद्ध करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र0सं0	आवेदक का नाम	पद
1	श्री सुभाष उपाध्याय	स्थायी अधिवक्ता
2	श्री एन0पी0 शाह	स्थायी अधिवक्ता
3	श्री इन्द्रपाल कोहली	स्थायी अधिवक्ता
4	श्री रमन कुमार शाह	सहायक शासकीय अधिवक्ता
5	श्री मुस्ताक अली खान	सहायक शासकीय अधिवक्ता
6	श्री के0एस0 रौतेला	सहायक शासकीय अधिवक्ता
7	श्री आसिफ अली	वाद धारक
8	श्री हरिओम भाकुनी	वाद धारक
9	श्री हरेन्द्र बेलबाल	वाद धारक
10	श्री सुरेश चन्द्र दुमका	वाद धारक
11	श्री हरिमोहन भाटिया	वाद धारक
12	श्री राम किशोर	वाद धारक
13	श्री पंकज शर्मा	वाद धारक
14	श्री बी0डी0 पाण्डेय	वाद धारक
15	श्री महेश चन्द्र भट्ट	वाद धारक
16	श्री प्रभाकर जोशी	वाद धारक
17	सुश्री विजय लक्ष्मी	वाद धारक
18	श्री ललित शर्मा	वाद धारक
19	सुश्री सीमा कुमारी	वाद धारक
20	श्री जबर सिंह पंवार	वाद धारक
21	सुश्री निशात इंतजार	वाद धारक

क्रमश 2

2— उपर्युक्त आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यवसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नही है। इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते है। क्र0सं0 1 से 6 पर उल्लिखित आबद्ध अधिवक्ता अपनी आबद्धता के दौरान उत्तराखण्ड राज्य के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नही करेंगे न ही राज्य के विरूद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। आबद्ध अधिवक्ता विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करेंगे।

3— कृपया उक्त अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तद्नुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

4— उक्त आबद्ध अधिवक्तागण को न्याय विभाग के शासनादेश संख्या—67/XXXVI(1)/2010 —43—एक(1)/03 दिनांक 25—03—2010 के अनुसार फीस देय होगी।

5— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

6— सम्बन्धित अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्या— 151 /XXXVI(1)/2012—75/2007—टी0सी0 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव/सचिव/निजी सचिव।
2— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के स्टाफ आफीसर/निजी सचिव।
3— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4— महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
7— मुख्य स्थायी अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
8— सम्बन्धित अधिवक्तागण, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
9— गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव